सत्यमेव जयते
View Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 155/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

हैप्पी सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया।

—वादी

बनाम्

1. गुरसेवक सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सर्वजीत कौर पत्नी गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. गगनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. शाखा प्रबंधक पीएनबी शाखा हरीपुरा।
5. तहसीलदार राजस्व सगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री इन्द्रपाल बैनिवाल एडवोकेट (वादी)
2. श्री प्रवीण बैरड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 3)
3. राज—पैरोकार प्रतिवादी संख्या 5

निर्णय

दिनांकः—5.6.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के पति के नाम से चक नं. 1 एचआरपी के खाता संख्या 39/55 ज. सं. 2073—2076 में 2.403 है. व चक नं. 2 एसटीपी के खाता संख्या 33/31 ज.सं. 2070—2073 में 3.026 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीया

5/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ढाबां

सलग्न वादपत्र है। वादी पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया था मुताबिक घरू विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई विवाद नहीं है किन्तु रकबा सांझा खाता में दर्ज होने के कारण सीव वट को लेकर व खाता अपवादित होने के कारण विवाद बना रहता है। मुताबिक घरू विभाजन वादी अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घरू विभाजन वादी को निम्न भूमि आई है:—

वादी हैप्पी सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह के हक व हिस्सा की भूमि

चक	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
1 एचआरपी	39/55	203/119	33	2,3,9,12,13,14,18,19,22/0.253 है. प्र., 23/2/0.126है. कुल 2.403 है. मय गैर मु
2 एसटीपी	33/31	191/122	59	13,14/ 0.253 है. प्र. कुल 0.506 है.

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि जो वादी व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। चक नं. 1 एचआरपी के खाता संख्या 39/55 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम से किया जाकर व चक नं. 2 एसटीपी के खाता सं. 33/31 में प्रतिवादी सं. 1 का 0.506है. हिस्सा कम कर वादी के काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे। इस पर प्रतिवादीगण ने ऐसा करन से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

लिहाजा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर

5/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल GTM

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकमराज अलग कायम की जावे तथा चक नं. 1 एचआरपी के खाता सं. 39/55 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम से किया जावे व चक नं. 2 एसटीपी के खाता सं. 33/31 में प्रतिवादी सं. 1 का 0.506 है. हिस्सा कम के वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के पति के नाम से चक नं. 1 एचआरपी के खाता संख्या 39/55 ज. सं. 2073–2076 में 2.403 है. व चक नं. 2 एसटीपी के खाता संख्या 33/31 ज.सं. 2070–2073 में 3.026 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने हाजिर आकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादी हैप्पी सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह के हक व हिस्सा की भूमि

9/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल 6 GGI

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
1 एचआरपी	39/55	203/119	33	2,3,9,12,13,14,18,19,22/0.253 है. प्र., 23/2/0.126है. कुल 2.403 है. मय गैर मु
2 एसटीपी	33/31	191/122	59	13,14/ 0.253 है. प्र. कुल 0.506 है.

राजस्व रिकार्ड रकम–राज अलग–अलग कायम किये जाने के आदेष दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

9/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान.......
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...............

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेष 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 281/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धर्मवीर पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
–वादी

बनाम्

1. मोहन लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रानी देवी पत्नि मोहन लाल जाति जाट नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुशीला पुत्री मोहन लाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. कान्ता पुत्री मोहन लाल जाति जाट नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. एचडीएफसी बैक शाखा संगरिया।

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राधेष्याम झोरड़ एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 4 श्री सुषील एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– वादी धर्मवीर के हक व हिस्सा में चक नं. 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में पं.न. 157/125 मु.न. 44 किला नं. 21,22/प्रत्येक 0.253 हैक्ट. पं.न. 157/126 मु.न. 51 किला नं. 1 ता 4, 8, 9, 19 ता 21 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कुल 2.783 हैक्ट कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल के हक व हिस्सा आई कृषि भूमि चक नं. 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 नया खाता संख्या 54/42 में प.न. 157/126 मु.न. 51 किला नं. 10,11,112 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कृषि भूमि चक नं. 3 पीटीपी पुराना खाता संख्या 61/57 नया खाता संख्या 69/57 पु.न. 154/128 मु.न. 02 किला नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 हैक्ट. 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. 6, 7, 14/प्रत्येक 0.253 हैक्ट. 15/2/0.127 है. कुल 1.645 है. मय गै.मु. कृषि भूमि एवं

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
(O) प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल गाथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तिवादीया संख्या 2 रानी देवी के हक व हिस्सा चक 5 केएसडी खाता संख्या पुराना 55/42 ेया खाता संख्या 54/42 में पं.न. 156/126 मु.न. 52 किला नं. 15,16,25 प्रे. 0.253 है. पं.न. 154/127 मु.न. 55 किला नं. 19, 22/प्रत्येक 0.253 है. 23/2/0.127 हैक्ट. कुल 1.392 हैक्ट कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड रकम–राज अलग–अलग कायम किये जाने के आदेष दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......5/6/2023......को जारी किया गया।

5/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान......2023

(SDO)

शिविर स्थल......6/97......